केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड
Central Social Welfare Board

राज्य समाज कल्याण बोर्डों के गठन एवं कार्यप्रणाली संबंधी नियम
Rules Governing Composition and Functions of the State Social Welfare Boards

डॉ. दुर्गाबाई देशमुख समाज कल्याण भवन,
बी–12, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली – 110 603
DR. DURGABAI DESHMUKH SAMAJ KALYAN BHAVAN,
B-12, Qutab Institutional Area,
New Delhi-110 603

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड
Central Social Welfare Board
राज्य समाज कल्याण बोर्डों के गठन एवं कार्यप्रणाली संबंधी नियम
Rules Governing Composition and Functions of the State Social Welfare Boards

1. संक्षिप्त शीर्षक
Short title

इन नियमों को 'राज्य समाज कल्याण बोर्डों के नियम' कहा जाएगा।
These rules may be called the Rules of the State Social Welfare Board.

2. परिभाषा
Definitions

i) "बोर्ड" से अभिप्राय है "राज्य समाज कल्याण बोर्ड"।
"Board" means the "State Social Welfare Board".

ii) "केंद्रीय बोर्ड" से अभिप्राय है "केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड"।
"Central Board" means the "Central Social Welfare Board".

iii) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है "राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष"।
"Chairperson" means the "Chairperson of State Social Welfare Board".

iv) "सरकार" से अभिप्राय है "राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र"।
"Government" means the "State Government/Union Territory".

v) "सदस्य" से अभिप्राय है "अध्यक्ष सहित बोर्ड के सदस्य"।
"Member" means a "Member of the Board including the Chairperson".

vi) "सचिव" से अभिप्राय है "राज्य समाज कल्याण बोर्ड के सचिव"।
"Secretary" means the "Secretary of the State Social Welfare Board".

3. राज्य बोर्ड का गठन
Composition of State Board.

i) बोर्ड में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के निर्णय से सदस्यों को शामिल किया जाएगा।
The Board shall consist of such members as may be decided by Central Social Welfare Board.

ii) बोर्ड की अध्यक्ष एक प्रतिष्ठित महिला सामाजिक कार्यकर्ता होंगी। निर्वाचित प्रतिनिधि तथा लाभ के पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष पद की पात्रता नहीं होगी।
The Chairperson of the Board shall be an eminent women Social Worker. Elected representative and person holding office of profit will not be eligible for the post of the Chairperson.

iii) इसमें राज्य के हर बड़े जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक (1) सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में कार्यरत होगा। इसके अलावा, विश्वविद्यालय, समाज कार्य के स्कूल या विभाग के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण/महिला कल्याण, शिक्षा, सामुदायिक विकास आदि से जुड़े विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों तथा राज्य विधान मंडल से एक महिला प्रतिनिधि को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। गैर–सरकारी सदस्यों की कुल संख्या की अधिकतम सीमा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा निश्चित की जाएगी।
There shall normally be one (1) social worker as member to represent each major district in the State. In addition, a representative of the University, Deptt. or School of Social Work, officials representing Departments dealing with Health, Social Welfare/Women's Welfare, Education, Community Development etc, and one woman representative from State Legislature, shall be nominated by the State Government. The upper limit of the total number of non-official members shall be fixed by Central Social Welfare Board.

iv) राज्य बोर्ड के गठन के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के परामर्श से संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी।
The notification for the constitution of the State Board shall be issued by the concerned State Govt. in consultation with Central Social Welfare Board.

v) क) राज्य बोर्ड की अध्यक्ष का चयन संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
a) The Chairperson of the State Board will be selected by the Chairperson of Central Social Welfare Board in consultation with the concerned State Govt.

ख) राज्य बोर्ड अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) के साथ 3 नामों का एक पैनल केंद्रीय बोर्ड की सहमति हेतु भेजा जाना चाहिए। यदि राज्य बोर्ड अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि तक राज्य सरकार से नियुक्ति के लिए नामांकन/कार्यकाल में विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है, तब केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड अवधि में विस्तार का निर्णय लेगा या नई नियुक्ति करेगा। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा एकपक्षीय तौर पर कोई अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की जाएगी।
यदि राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तब केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष द्वारा अपनी ओर से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
b) Before the expiry of the tenure of an incumbent Chairperson of the State Board, the State Govt. should send a panel of 3 names, along with bio-data of the individuals to the Central Board for the latter's concurrence for appointment of the Chairperson. If no nomination of appointment/proposal for extension of tenure is received from the State

Govt. till the date of expiry of the term of the Chairperson of the State Board, the Central Social Welfare Board shall take a decision for extending the tenure of making a fresh appointment, State Govt./U.T will not make an interim administrative arrangement unilaterally.
In case there is no response from the State Govt. the Chairperson, Central Social Welfare Board shall suo-motto appoint a Chairperson/Officer-in-Charge.

ग) राज्य बोर्ड अध्यक्ष 3–3 वर्ष के लगातार 2 कार्यकाल से ज्यादा अवधि तक पद पर कार्य नहीं करेंगी। राज्य बोर्ड के सदस्य भी लगातार 2 बार से ज्यादा अवधि तक पद पर कार्य नहीं करेंगे।

c) A State Board Chairperson shall not hold office for more than 2 consecutive terms, each of 3 years duration. The members of the State Board shall also not hold office for more than 2 consecutive terms.

घ) यदि किसी कारणवश बोर्ड की अवधि समाप्त होने के बाद उसका पुनर्गठन नहीं किया जाता है, तो उस स्थिति में अध्यक्ष के कार्यों के निर्वहन के लिए अंतरिम व्यवस्था (stop gap arrangement) के तौर पर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। यह व्यवस्था नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक के लिए होगी।

d) In case the Board is not reconstituted after expiry of its term due to one reason or other, Central Social Welfare Board will appoint an Officer-In-charge through an Administrative Order as a stop-gap arrangement to discharge the duties of the Chairperson till a regular Chairperson is appointed.

vi) अध्यक्ष को छोड़कर आधे गैर–सरकारी सदस्य केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा तथा शेष आधे सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे।
Half of the non-official members excluding the Chairperson shall be nominated by the Central Social Welfare Board and the other half by the State Govt.

vii) क) सामान्यतया बोर्ड के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही पूर्ण बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए। यदि राज्य बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ पूर्ण राज्य बोर्ड का गठन नहीं किया जाता है, तब बोर्ड पदेन (ex-officio) सदस्यों के साथ काम करेगा, जैसाकि धारा 3 (iii) में उल्लिखित किया गया है। गैर–सरकारी सदस्यों का चयन तथा अधिसूचना पूर्व बोर्ड के कार्यकाल के समाप्त होने की तिथि से तीन महीनों की अवधि में हो जाना चाहिए।

(a) Normally the full Board should be constituted before expiry of the term of previous Board, If full State Board is not constituted, along with the appointment of the Chairperson of State Board, the Board will function along with the ex-officio members as mentioned in clause 3 (iii)

Selection and notification of the non-official members should be completed within a period of three months from the expiry of the term of the previous Board.

ख) राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले गैर–सरकारी सदस्यों के चयन में अनावश्यक विलंब होने पर, राज्य सरकार केंद्रीय बोर्ड के मनोनीत सदस्यों की अधिसूचना जारी करेगी। यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है, तो केंद्रीय बोर्ड पुनर्गठित राज्य बोर्ड में केंद्रीय बोर्ड के मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक आदेश जारी करेगा।

(b) In case of undue delay in the selection of non-official nominees of the State Govt., State Govt. shall issue notification of Central Board nominees. If State Govt. fails to do so, Central Board will issue an administrative order for appointment of Central Board nominees on the reconstituted State Board.

viii) केंद्रीय बोर्ड तथा संबंधित राज्य सरकार की आपसी सहमति से किन्हीं विशेष कारणों से राज्य बोर्ड भंग/निरस्त किया जा सकता है या अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उनके पद से हटाया जा सकता है। राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष के कार्यकाल को निम्न कारणों के अलावा समाप्त नहीं किया जा सकता है :

The State Board can be dissolved/ superceded or the Chairperson or any member can be removed from her Office for specified reasons with the mutual consent of the Central Board and the State Govt. concerned. The term of the Chairperson, State Social Welfare Board should not be terminated except for the following reasons:-

यदि वह –

If she is -

i) विकृत मानसिकता की हैं।
Of unsound mind.

ii) उन्हें किसी ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई है, जिसमें नैतिक चरित्रहीनता शामिल है।
Convicted or sentenced to imprisonment for an offence which involves moral turpitude.

iii) दिवालिया घोषित हैं।
Declared Insolvent.

iv) अपनी ड्यूटी निभाने से इनकार कर देती हैं या फिर ड्यूटी निभाने में अक्षम हो जाती हैं।
Person who refuses to discharge her duties or becomes incapable of discharging her duties.

v) बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहती हैं।
Absent from three consecutive meetings of the Board and

vi) ऐसा आचरण करें जिसके कारण उनका पद पर कार्यरत रहना जनहित के खिलाफ हो।
Having such conduct due to which continuance in office becomes detrimental in public interest.

vii) यदि राज्य बोर्ड अध्यक्ष कोई चुनाव (विधानसभा या लोकसभा) लड़ रही हैं, उस स्थिति में उन्हें प्रशासनिक आधार पर अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देना होगा।
In case the Chairperson of the State Board is contesting any election (Assembly or Laksabha), she will have to resign from the post of the Chairperson in administrative grounds.

4. बोर्ड के पदाधिकारी
Office-bearers of the Board

राज्य बोर्ड के पदाधिकारी, अध्यक्ष एवं सचिव हैं, जो राज्य बोर्ड के सचिव होंगे। वे राज्य बोर्ड के मुख्यालय में रहेंगे।
The Office-bearers of the State Board shall be the Chairperson & Secretary, who will be the Secretary of the State Board. They shall reside in the headquarter of the State Board.

5. सदस्यता सूची
Membership Roll

बोर्ड सदस्यों की सूची रखेगा तथा बोर्ड का प्रत्येक सदस्य अपने व्यवसाय तथा पते का उल्लेख करते हुए सूची में हस्ताक्षर करेगा/करेगी। यदि सदस्य अपने पते में परिवर्तन करता/करती है, तो वह बोर्ड के सचिव को अपने नए पते के बारे में सूचित करेगा/करेगी, जोकि सदस्यों की सूची में नए पते को शामिल करेगा, किंतु यदि वह नए पते की सूचना नहीं देता/देती है, तो सदस्य सूची में दिया गया पता ही उसका पता समझा जाएगा।
The Board shall keep a roll of the members and every member of the Board shall sign the roll stating therein his/her occupation and address. If a member changes his/her address, he/she shall notify the new address to the Secretary of the Board who shall there upon enter the new address in the roll of members but if he/she fails to notify the new address, the address in roll of members to be deemed to be his/her address.

6. सदस्यता की अवधि
Duration of membership

i) सभी सदस्य उतनी अवधि तक पद पर कार्य करेंगे, जितनी अवधि के लिए बोर्ड का गठन किया गया है।
All members shall hold office for the period for which the Board is constituted.

ii) जब कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में अपने पद पर मनोनीत किया जाता है, तो बोर्ड में उसकी सदस्यता उस समय समाप्त हो जाएगी, जब उसको नियुक्त पद पर काम करने से रोक दिया जाता है।
When a person is nominated as a member by virtue of his/her office, his/her membership of the Board shall be terminated when he/she ceases to hold that office of appointment.

iii) यदि सदस्य त्यागपत्र दे देता है या विकृत मानसिकता का है, दिवालिया है या नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े किसी अपराध के लिए उन्हें सजा मिली है तो वह अपने पद पर कार्य नहीं करेगा/करेगी।
A member shall cease to hold office if he/she resigns or is of unsound mind, insolvent or convicted of a criminal offence involving moral turpitude.

iv) यदि सदस्य बिना किसी उपयुक्त कारण के बोर्ड की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता/रहती है, तो बोर्ड से उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी।
A member who does not attend three (3) consecutive meetings of the Board without any valid reason shall cease to be a member of the Board.

v) कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता/सकती है। यह त्यागपत्र बोर्ड की अध्यक्ष को संबोधित किया जाएगा तथा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही यह प्रभावी होगा। यदि सदस्य राज्य सरकार का मनोनीत सदस्य हो तो त्यागपत्र की स्वीकृति की एक प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जानी चाहिए। राज्य बोर्ड की अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र देने के मामले में यह त्यागपत्र केंद्रीय बोर्ड की अध्यक्ष को संबोधित किया जाए तथा राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के बाद ही यह प्रभावी होगा।
Any member may resign his/her membership and such resignation of membership shall be addressed to the Chairperson of the Board and shall take effect after it is accepted by the Chairperson, Central Social Welfare Board. Where member is nominee of the State Govt. a copy of the acceptance of resignation should also be sent to the State Govt. In case the Chairperson of the State Board may resigns, and such resignation may be addressed to the Chairperson, Central Board and shall take effect after it is accepted by the Chairperson, Central Social Welfare Board in consultation with the State Govt.

vi) बोर्ड में कोई रिक्त स्थान उस प्राधिकारी द्वारा किए गए नामांकन के माध्यम से भरा जाएगा, जिसने निवर्तमान सदस्य को नामित किया था। रिक्त स्थान भरने के लिए नामित किया गया व्यक्ति सदस्य के रूप में केवल तभी तक उस पद पर कार्य करेगा, जितने समय तक, यदि रिक्त स्थान नहीं होता तो, पूर्व सदस्य का कार्यकाल था।

Any vacancy in the Board shall be filled by nomination by the authority which nominated the out going member and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only as long as member in whose place he/she is nominated would normally hold Office, if the vacancy had not occurred.

7. बोर्ड के कार्य

Functions of the Board

बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा :–

The Board will perform the following function:-

i) कार्यक्षेत्र तथा केंद्र के बीच सूचना के आदान–प्रदान के लिए माध्यम के रूप में काम करना।

To act as medium for exchange of information between the field and the Centre and vice-versa.

ii) विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुदान सहायता के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा अन्य संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करना, प्राप्त करना, उनकी जांच करना तथा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को उनकी अनुशंसा करना।

To invite, receive, examine and recommend to the Central Social Welfare Board applications for Grant-in-Aid from Voluntary organizations and other Institutions under different programmes.

iii) स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं/परियोजनाओं के कामकाज का पर्यवेक्षण करना तथा उसकी रिपोर्ट केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड या अन्य सरकारी विभागों को देना।

To supervise and report on the working of the Voluntary organizations/Institutions/Projects to the Central Social Welfare Board or other Govt. Departments.

iv) संबंधित राज्य में आवश्यकतानुसार नए कल्याण कार्यक्रम तथा गतिविधियां शुरू करने के लिए केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना तथा सहायता करना।

To advice and assist the Central Board in sponsoring new welfare programmes and activities wherever they are needed within their States.

v) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कल्याण तथा विकास की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करना ताकि उनके दोहराव से बचा जा सके।
To coordinate the welfare and developmental activities undertaken by the various Departments of the State Governments with a view to avoid duplication.

vi) ऐसी कई अन्य गतिविधियां करना जो इन उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हों।
To undertake such other activities as may be conducive to the fulfilment of these objectives.

vii) स्वैच्छिक समाज कल्याण एजेंसियों को बढ़ावा देना तथा वर्तमान में जिन क्षेत्रों में ऐसी सेवाएं नहीं हैं, वहां कल्याण सेवाओं के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना।
To promote the growth of voluntary social welfare agencies, with special reference to development of the welfare services in the areas uncovered at present.

viii) सहायता प्राप्त एजेंसियों के लिए क्षेत्रीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सहायता देना।
To assist the Central Social Welfare Board in providing field counselling services for aided agencies.

ix) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा प्रायोजित या राज्य सरकार के सहयोग से संयुक्त रूप से प्रायोजित समाज कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों को संचालित करना।
To administer the programmes of social welfare & development either sponsored by the Central Social Welfare Board or jointly initiated with the cooperation of the State Governments.

x) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहमति से समाज कल्याण से जुड़ी ऐसी गतिविधियां या कार्यक्रम चलाना, जिन्हें केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के किसी विभाग द्वारा राज्य बोर्ड को सौंपा गया है।
To undertake with the concurrence of the Central Social Welfare Board such social welfare activities or programmes that are entrusted to the State Board by any Department of Centre/State/Union Territory and,

xi) कल्याण सेवाओं के और अधिक विकास के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्य सरकार की सहायता करना।
To assist the Central Social Welfare Board and the State Govt./in further development of welfare services.

xii) राष्ट्रीय/प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अपनी मशीनरी के माध्यम से आपत्कालीन राहत का आवश्यकतानुसार प्रबंध करना।
To organize through its machinery emergency relief in case of calamity-national/natural or otherwise, wherever deemed fit or necessary.

8. बोर्ड का कार्यालय
Board's Office

बोर्ड का एक कार्यालय होगा, जिसमें एक सचिव तथा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा समय–समय पर मंजूर अन्य स्टाफ होगा। सचिव, बोर्ड की बैठकों का रिकॉर्ड रखेगा तथा समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्देशित अन्य प्रशासनिक कार्य करेगा। राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों के साथ उचित समन्वय बनाए रखने के लिए राज्य बोर्ड का मुख्य कार्यालय राज्य की राजधानी में होना चाहिए।
The Board shall have an office with a Secretary and such other staff as may be sanctioned by the Central Social Welfare Board from time to time. The Secretary shall keep a record of the Board's meetings and shall perform such other administrative functions as directed by the Board from time to time. Head-office of the State Board should be in State capital to maintain proper coordination with different State Govt. offices.

9. बैंकर
Bankers

बोर्ड का भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाता/बचत खाता या अन्य प्रकार का खाता होगा। यदि किसी स्थिति में राज्य सरकार ने इसके विपरीत निर्देश दिए हुए हैं, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा अन्य बैंकों में खाता खोलने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का पूर्व–अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। बोर्ड की सभी प्रकार की प्राप्तियों का भुगतान बोर्ड के बैंक खातों में किया जाएगा। बोर्ड के खातों का संचालन निम्न अधिकारियों द्वारा किया जाएगा :–
The Board shall maintain current account/savings bank account or any other account with the State Bank of India or with any Nationalised Bank. In case State Govt. instructions are contrary to this, prior approval of Central Social Welfare Board should be obtained to open account in banks other than nationalized banks. All receipts of the Board shall be paid into the Board's bank account. The account of the Board will be operated by the following:-

i) अध्यक्ष
Chairperson

ii) कोषाध्यक्ष
Treasurer

iii) सचिव
Secretary

एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। यदि सचिव उपस्थित नहीं हों, तो राज्य बोर्ड की अध्यक्ष द्वारा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व सहमति से सचिव के स्थान पर किसी उपयुक्त अधिकारी को प्राधिकृत किया जाएगा।
It will be mandatory for the Secretary to be one of the Signatories. In case Secretary is not available, Chairperson of State Board will, with the prior approval of Central Social Welfare Board, authorise a suitable officer in his place.

10. **बोर्ड की शक्तियां**
Powers of the Board

i) बोर्ड को, केंद्रीय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के साथ निर्धारित शर्तों पर केंद्रीय बोर्ड द्वारा मंजूर पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार होगा हालांकि राज्य बोर्ड के सचिव को नियुक्त करने का अधिकार केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के पास होगा।
The Board shall have power to make the appointments of the posts sanctioned by the Central Board on the terms to be prescribed with the prior approval of the Central Board. However, the power to appoint Secretary of the State Board shall vest with the Central Social Welfare Board.

ii) बोर्ड के किसी अधिकारी या स्टाफ को पदोन्नत करने, स्तर घटाने या बर्खास्त करने का अधिकार उसी सक्षम प्राधिकारी को होगा, जिसे इन अधिकारियों या स्टाफ को नियुक्त करने का अधिकार होगा। इन सभी मामलों में, राज्य बोर्ड द्वारा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के नियम लागू किए जाएंगे।
The authority competent to promote, reduce in rank or dismiss an officer or staff of the Board shall be the authority empowered to appoint such officer or staff. In all these matters, the State Board shall apply rules of the State Govt./Union Territory concerned.

iii) बोर्ड की स्थायी समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा बोर्ड के दो और सदस्य होंगे। स्थायी समिति बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं तथा निर्देशों के अंतर्गत बोर्ड के सभी मामलों तथा निधि के प्रबंधन की देख–रेख करेगी।
There shall be Standing Committee of the Board consisting of the Chairperson, Secretary, Treasurer and two more members of the Board. The Standing Committee shall look after the management of all the affairs and funds of the Board within the limits and direction prescribed by the Board.

iv) बोर्ड तथा कार्यालय की गतिविधियों को चलाने के लिए बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर असंगत तथा अव्यावहारिक नियमों के स्थान पर उपनियम बना सकता है।
The Board shall have the power to make, if necessary, such bye-laws as are not repugnant to, or inconsistent with these rules, for the conduct of the Board's business and for the working of its office.

v) किसी विशेष समस्या या समस्याओं से निपटने के लिए बोर्ड एक संकल्प द्वारा उप–समितियों तथा विशेषज्ञों के पैनलों को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकता है।
The Board may, by resolution, delegate to sub-committees and panels of experts the power to deal with specific problems or group of problem as the Board may deem fit.

vi) बोर्ड कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए तदर्थ समितियों को नियुक्त कर सकता है। उप–समितियां बोर्ड की ओर से निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं होंगी।
The Board may, wherever necessary, appoint ad hoc committees for specific purposes. The sub-committees will not be empowered to take decision on behalf of the Board.

vii) बोर्ड द्वारा अपने कार्य–संचालन के लिए अध्यक्ष या सचिव को अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन करना, बशर्ते कि प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत अध्यक्ष या सचिव द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्टि के लिए बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाएगा।
The Board may, by resolution, delegate to the Chairperson or the Secretary, such of its powers for the conduct of its business as it deems fit, subject to the condition that the action taken by the Chairperson or the Secretary under the powers delegated to them by this regulation shall be reported for confirmation at the next meeting of the Board.

viii) राज्य बोर्ड के कर्मचारियों को उनकी सेवा–शर्तों के संदर्भ में राज्य सरकार के नियमों द्वारा संचालित किया जाएगा। राज्य बोर्ड अन्य वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों में राज्य सरकार के नियमों का पालन करेगा।
The employees of the State Board will be governed by the State Govt. rules in terms of their service conditions. The State Board will also follow the State Govt. rules in case of other financial and administrative matters.

11. बोर्ड की बैठकें
Meetings of the Board

i) बोर्ड की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होंगी तथा बोर्ड की किन्हीं दो बैठकों के बीच 4 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होगा।
The Board shall have at least 4 meetings in a year and not more than four months shall elapse between any two meetings of the Board.

ii) बोर्ड के सदस्यों को साधारण बैठक के लिए कम से कम 10 दिन का नोटिस दिया जाएगा।
Not less than ten days notice of ordinary meeting shall be given to the members of the Board.

iii) बोर्ड के एक–तिहाई उपस्थित सदस्य मिलकर गणपूर्ति (कोरम) का निर्माण करेंगे।
One third of the members of the Board, present in person shall constitute the quorum.

iv) बोर्ड की सभी बैठकें अध्यक्ष द्वारा संचालित की जाएंगी।
All meetings of the Board shall be convened and presided over by the chairperson.

v) यदि बोर्ड का अध्यक्ष किसी बैठक में उपस्थित नहीं है, तो उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता के लिए अपने सदस्यों में से किसी एक का चयन करेंगे।
If the Chairperson of the Board is not present at any meeting of the Board, the members present shall elect one from amongst the members to preside over the meeting.

vi) समान मतों की स्थिति में, अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति निर्णायक मत देगा।
In case of equality of votes, the Chairperson or the person presiding shall have the casting vote.

vii) पांच दिन के नोटिस पर एक विशेष बैठक भी आयोजित की जा सकती है :
An extra-ordinary meeting may be convened at any time at five days notice.

(क) बोर्ड की अध्यक्ष द्वारा या
(a) By the Chairperson of the Board or

(ख) अध्यक्ष से लिखित अनुरोध करने पर, जिसमें कम से कम एक–तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों।
(b) On a written request to the Chairperson, signed by at least one third of the members.

12. बजट
Budget

i) केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार बोर्ड अपनी एक बैठक में चालू वर्ष के लिए संशोधित बजट तथा आगामी वर्ष के लिए एक बजट आकलन प्रस्तुत करेगा। बैठक में पारित होने के बाद इसे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को भेजा जाएगा। इसमें किसी भी योजना के लिए ऐसा प्रावधान शामिल नहीं होगा, जिसे केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। राज्य बोर्ड स्थापना का व्यय केंद्रीय बोर्ड तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा।
The Board, shall in each year submit to the Central Social Welfare Board its revised budget for the current year and its budget estimate for ensuing year as passed in one of its meetings in the form prescribed by the Central Board. It shall not contain provisions for any scheme which have not been duly approved by the Central Board. The expenditure incurred on the establishment of the office of the State Board will be equally shared by the Central Board and the State Govt. concerned.

ii) ऐसी किसी भी मद पर व्यय के लिए बोर्ड की राशि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिसे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।
The funds of the Board shall not be appropriated for expenditure on any item which has not been approved by the Central Social Welfare Board.

13. लेखा एवं लेखापरीक्षा
Accounts & Audits

i) राज्य महालेखाकार या केंद्रीय बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखों की लेखा–परीक्षा की जाएगी।
The accounts shall be subject to audit by the State Accountant General or any other auditors appointed by the State Govt. in consultation with the Central Board.

ii) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित फॉर्म में प्रगति रिपोर्ट के साथ परीक्षित लेखा–विवरण को अगली बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा तथा उत्तर की प्रति के साथ रिपोर्ट की प्रति केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्य सरकार को भेजी जाएगी।
The audited accounts together with the progress report in the form prescribed by the Central Social Welfare Board shall be placed before the Board at its next meeting and a copy of the report together with a copy of the reply shall be sent to the Central Board and the State Govt.

14. सदस्यों को पारिश्रमिक
Remuneration to members

i) बोर्ड के जो सदस्य सरकारी नहीं हैं, उन्हें बोर्ड के या विधिवत् रूप से बनाई गई उपसमिति के किसी कार्य के लिए की गई यात्रा के संबंध में तथा यात्रा/विराम भत्ता ग्राह्य होगा। ये भत्ते राज्य सरकार में श्रेणी–1 के उच्चतम स्तर के अधिकारियों को मिलने वाले भत्तों या राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत गैर–सरकारी सदस्यों को मिलने वाले भत्तों के अनुसार होंगे।
A member of the Board, who is not an official, shall be entitled to draw in respect of any journey performed for the purpose of the business of the Board or of a duly constituted sub-committee, such as travelling and halting allowances as would be admissible in respect of such journeys to State Govt. officials of the highest grade of class I or as admissible to non-officials under the State Govt. Rules.

ii) उनके द्वारा दी गई सेवाओं पर यात्रा भत्ते तथा विराम भत्ते के अलावा और किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, सिवाए उसके जिसके लिए केंद्रीय बोर्ड का पूर्व–अनुमोदन हो।
No remuneration other than travelling allowances and halting allowances on account of his/her services as such shall be paid except with the previous sanction of the Central Board.

iii) राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष को मानदेय, मंत्रीपद स्तर की सचिवालयी सुविधाएं आदि प्रदान की जा सकती हैं। किंतु इन सभी मामलों में शत–प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
The State Govt. may provide certain facitlities if they so desire, to the Chairperson in terms of honorarium, secretarial facilities of status of ministerial rank etc. But in such case, cent percent expenditure will have to be met by the State Govt.

15. नियमों का संशोधन
Amendment of Rules

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व–अनुमति के बिना नियमों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।
No amendment to the rules shall be made without the prior approval of the Central Social Welfare Board.